राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत साहुवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 68/2017

A7

1. मनोज कुमार उर्फ मंगलचन्द पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी चुन्नीवाली ढ़ाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

– – **वादी**

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – **प्रतिवादी**

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ऋषीपाल जोषी अधिवक्ता वादी
2. श्री पैरोकार राज

– :: निर्णय ::– **दिनांक :– 15.05.2017**

वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 10 एल.एन.पी पटवार हल्का 6 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 18/31 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 5.060 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से वादी के भाई व वादी (सुरेश चन्द्र मनोज कुमार उर्फ मंगलचन्द्र पिसरान पृथ्वीराज) के नाम संयुक्त रूप से 1.687 हैक्टर कृषि भूमि बहिस्सा बराबर जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा यानि 0.844 हैक्टर है एवं इसी चक 10 एल.एन.पी के संयुक्त खाता संख्या 60/61 के मुरब्बा नम्बर 32, 40, 41 की कुल 8.185 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से वादी के भाई व वादी (सुरेश चन्द्र मनोज कुमार उर्फ मंगलचन्द पिसरान पृथ्वीराज) के नाम संयुक्त रूप से 2.024 हैक्टर कृषि भूमि बहिस्सा बराबर जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है जिसमें भी वादी का 1/2 हिस्सा यानि 1.012 हैक्टयर है। चक 12 एल.एन.पी पटवार हल्का 11 एल.एन.पी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के संयुक्त खाता संख्या 55/47 के मुरब्बा नम्बर 1, 5, 7 की कुल 12.651 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के भाई व वादी (सुरेश चन्द्र, मंगलचन्द पिसरान पृथ्वीराज) के नाम संयुक्त रूप से 2.952 हैक्टर कृषि भूमि बहिस्सा बराबर बराबर जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा यानि 1.476 हैक्टर है। चूंकि कृषि भूमि के रिकार्ड में वादी का घरेलू नाम "मंगलचन्द" अंकित कर दिया गया है जबकि वादी के शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, पहचान पत्र, व वादी के बच्चो के शैक्षणिक दस्तावेजात आदि में वादी का नाम "मनोज कुमार" अंकित है। वादी का कृषि भूमि रिकार्ड में घरू नाम दर्ज होने के कारण, वादी के नाम से जारी मतदाता पहचान,

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि से मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादी को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज, मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादी वंचित हो रहा है जबकि कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित ''मंगलचन्द {मंगलचन्द्र}'' एवं ''मनोजकुमार'' वादी का ही नाम है तथा एक ही व्यक्ति है । चक 10 एल.एन.पी. के खाता संख्या 18/31, खाता संख्या 60/61, चक 12 एल.एन.पी के खाता संख्या 55/47 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति तथा वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज की प्रतियां व वादी के पुत्रो की सैकण्डरी अंकतालिका की प्रतियां संलग्न वाद है।

वादी ने दिनांक 01.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपनी समस्त वस्तु स्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दुरूस्त करवाने हेतु हिदायत दी, बस यही वाद कारण है इसलिए वादी को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादी नेकनीयत है वादी क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रहा है।

दावा के समर्थन में वादी का पथ पत्र, जमाबन्दी, तथा वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज की प्रतियां व वादी के पुत्रो की सैकण्डरी अंकतालिका की प्रतियां आदि पेश किये जा रहे है।

लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

1. चक 10 एल.एन.पी पटवार हल्का 6 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 18/31 के मुरब्बा नम्बर 30 में वादी के भाई व वादी (सुरेश चन्द्र मनोज कुमार उर्फ मंगलचन्द्र पिसरान पृथ्वीराज) के नाम संयुक्त रूप से 1.687 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में एवं इसी चक 10 एल.एन.पी के संयुक्त खाता संख्या 60/61 के मुरब्बा नम्बर 32, 40, 41 में वादी के भाई व वादी (सुरेश चन्द्र मनोज कुमार उर्फ मंगलचन्द पिसरान पृथ्वीराज) के नाम संयुक्त रूप से 2.024 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में तथा चक 12 एल.एन.पी पटवार हल्का 11 एल.एन.पी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के संयुक्त खाता संख्या 55/47 के मुरब्बा नम्बर 1, 5, 7 में वादी के भाई व वादी (सुरेश चन्द्र, मंगलचन्द पिसरान पृथ्वीराज) के नाम संयुक्त रूप से 2.952 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में अंकित वादी के नाम ''मंगलचन्द (मंगल चन्द्र)'' को दुरूस्त किया जाकर ''मनोज कुमार पुत्र पृथ्वीराज'' अंकित करने के आदेश दिये जावे''।
2. अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो प्रदान किये जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादी का मनोज कुमार उर्फ मंगलचन्द अपना एक ही नाम मनोज ~~मनोज~~ कुमार रखना चाहता है। प्रार्थी का नाम मनोज कुमार किया जाना उचित है।

चुँकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी के अधिवक्ता को सुना गया वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र के समर्थन में वाद पत्र के साथ ही साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया वाद पत्र को शपथ पत्र के तथ्यों के रूप में पढ़ा जाकर जावे।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वाद पत्र के समर्थन में वादी की माता परमेश्वरी देवी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि के रिकार्ड में मेरे पुत्र का घरेलु नाम मंगलचन्द अंकित कर दिया गया है। मंगलचन्द एवम् मनोज कुमार मेरे पुत्र का ही नाम है। तथा एक ही व्यक्ति है। वादी के भाई सुरेश चन्द्र द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि के रिकार्ड में मेरे भाई का घरेलु नाम मंगलचन्द अंकित कर दिया गया है। मंगलचन्द एवम् मनोज कुमार मेरे भाई का ही नाम है। तथा एक ही व्यक्ति है। सरपंच ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला द्वारा भी प्रमाणित किया गया है, कि मंगलचन्द्र उर्फ मनोज कुमार पुत्र पृथ्वीराम जाति बिश्नोई साकिन चुन्नीवाली ढ़ाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का स्थाई निवासी है प्रार्थी के दो नाम है सही नाम मनोज कुमार पुत्र पृथ्वीराज है मै इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अतः उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को अनुतोष प्रदान किया जावे।

A 2/3

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कर धारा 88 के अन्तर्गत चक 10 एल.एन.पी पटवार हल्का 6 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 18 / 31 के मुरब्बा नम्बर 30 में वादी मनोज कुमार उर्फ मंगलचन्द्र पुत्र पृथ्वीराज के नाम संयुक्त रूप से 1.687 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में एवं इसी चक 10 एल.एन.पी के संयुक्त खाता संख्या 60 / 61 के मुरब्बा नम्बर 32, 40, 41 में वादी मनोज कुमार उर्फ मंगलचन्द पुत्र पृथ्वीराज) के नाम संयुक्त रूप से 2.024 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में तथा चक 12 एल.एन.पी पटवार हल्का 11 एल.एन.पी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के संयुक्त खाता संख्या 55 / 47 के मुरब्बा नम्बर 1, 5, 7 में वादी मंगलचन्द पुत्र पृथ्वीराज के नाम संयुक्त रूप से 2.952 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में अंकित है में ''मनोज कुमार पुत्र पृथ्वीराज'' को खातेदार घोषित करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत उक्त वर्णित भूमि मे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर मंगलचन्द उर्फ मनोज कुमार के स्थान पर ''मनोज कुमार पुत्र पृथ्वीराज'' जाति बिश्नोई निवासी चुन्नीवाली ढ़ाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर दर्ज करनें का आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) तथा हिस्सा कस्सी पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 15.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साहुवाला में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर